66/2007 नगरपरिषद- मुकेश

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-7-2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम में निवेदन किया कि नगरपरिषद एक विभाग है जिसने अपनी ओर से एक वकील श्री नरेश पारीक को नियुक्त कर रखा था तथा वकील पर विभाग ने विश्वास कर उन्हें विभाग को समय सम्य पर प्रकरण की जानकारी देना, जबाब देही देना तथा प्रकरण की समस्त जानकारी विभाग देने के लिये पाबन्द किया गया था । किन्तु विभाग के अधिवक्ता ने प्रकरण में पारीत निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी ।अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तब हुई जब ए0डी0एम0 साहब से नगर विकास के सम्बन्ध में चर्चा करते समय अपीलाधीन निर्णय का पता चला तब दिनांक 9-4-2007 को ही नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नकल प्राप्त की नकल प्राप्त होते ही यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। अपील का निस्तारण किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना उचित एवं विधि संगत है ।अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे ।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट(तहसीलदार) ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या-1 नियुक्त था। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नामान्तरकरण सं0- 318 दिनांक 23-12-2006 को भरा जाने पर हुई ।अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर माननीय जिला कलेक्टर सीकर से अपील पेश करने की अनुमति लेकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है अपील को मियाद के अन्दर शुमार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि नगरपरिषद ने यह अपील 9 दिन 6 माह विलम्ब से तथा तहसीलदार ने अपील 7 दिन

6 माह बाद पेश की है । अपीलान्ट सरकारी विभाग है जिसमें सभी अधिकारी कानून की जानकारी अच्छी तरह से रखते है केवल यह कह देने मात्र से अपील को अन्दर शुमार नहीं किया जावेगा कि उनको जानकारी उनके अधिवक्ता xxxx ने नहीं दी, उन्हे जानकारी नहीं हुई । अपीलान्ट द्वारा केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि उनके वकील ने उन्हे सूचना नहीं दी । अपीलान्ट को स्वयं को भी अपने अधिकारों के प्रति सावचेत एवं जागरूक रहना चाहिये। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है। जबकि विलम्ब में पेश अपील में एक एक दिन का हिसाब दिया जावेगा जैसा प्रस्तुत कानूनी नजीर एआईआर 2010(एस0सी0) पेज 3043 डी0एन0जे0(राज0) 1996-पेज-738, डी0एन0जे0(राज0) पेज 56 पेश की है। कानूनी नजीरों में स्पष्ट किया गया है कि विलम्ब उपशमन के लिये पर्याप्त कारण देने होगें जो सन्तोषजनक होने चाहिये। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषजनक कारण दर्ज नहीं किये है जिससे अपील में हुये विलम्ब को माफ किया जा सके । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम दफा-5 खारिज किया जावे । तथा अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । योग्य अदालत मातहत में अपीलान्ट निर्णय के समय जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं । नगरपरिषद का यह कहना कि उनके वकील ने उन्हे निर्णय की जानकारी नहीं दी यह पर्याप्त एवं सन्तोषप्रद कारण विलम्ब क्षमा के लिये नहीं है। अपीलान्ट स्वयं को भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं सचेत रहना होगा जैसा प्रस्तुत कानूनी नज़ीरों में स्पष्ट किया गया है तथा विलम्ब के प्रत्येक दिन का हिसाब देना होगा केवल यह देने मात्र से विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता कि उनके

दिनांक	आज्ञा पत्र	

किन्तु तहसीलदार ने यह अपील 18-4-2007 को पेश की अर्थात जानकारी के बाद भी लगभग 4 माह बाद अपील पेश की है जिसमें मा0 जिला कलेक्टर से अपील पेश करने की अनुमति भी मौखिक ही लिया जाना दर्ज किया है जिसमें भी 4 माह लगना सम्भव नहीं है अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किये है जिससे अपीलान्ट को दफा-5 का फायदा दिया जा सके। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र दफा-5 अवधि अधिनियम खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। अपील संख्या-56/2007 इस अपील के साथ कन्सोलिडेट की गई है। इस कारण उक्तानुसार अपील सं0-56/2007 का निर्णय भी किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति अपील सं0-56/2007 राज0 सरकार बनाम- मुकेश आदि में संलग्न की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

23/7/12

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर